न्यायालय मुन्सिफ

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0–74 सन् 2015

विनय कुमार सिंह वो अन्य.......................वादीगण।

बनाम

बनारसी राय वो अन्य........................प्रतिवादीगण।

दिनांक– 31.01.2023

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से प्रतिस्थापना आवेदन दिनांक 23.09.2022 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी की ओर से आवेदन में कथन है कि उपरोक्त वाद के प्रतिवादी सं0 06 सुभाष राय दिनांक 11.07.2022 को अपने पीछे बेबा फूल कुमारी देवी एक मात्र पुत्र हरेश्वर प्रसाद एवं एक विवाहित पुत्री प्रीति कुमारी को छोड़कर स्वर्गवासी हो गए हैं। वाद में उचित पैरवी व संघर्ष वास्ते प्रतिवादी सं0 06 करने हेतु उनके वारिसान को न्याय पटल पर लाना न्यायाहित में आवश्यक है। अतः निवेदन है कि अर्जीदावी से प्रतिवादी सं0 06 का नाम कलमजद कर उनके कानूनी वारिसान जो आवेदन में दिया गया है उसे प्रतिस्थापित करने की कृपा की जाए।

प्रतिवादी की ओर से वादी के उक्त प्रतिस्थापना आवेदन पर नो ऑब्जेक्शन लिखा गया है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं0 06 के रूप में सुभाष राय थे जिनकी मृत्यु दिनांक 11.07.2022 को अपने कानूनी वारिसान जो आवेदन में लिखित है को छोड़कर हो गई है। वादी वादपत्र से प्रतिवादी सं0 06 का नाम कलमजद करने तथा उनके कानूनी वारिसानों को प्रतिस्थापित करने हेतु उक्त आवेदन दाखिल किया है जो शपथ पत्र के साथ समर्थित है। वादी की ओर से उक्त प्रतिस्थापना आवेदन समय सीमा के अंतर्गत दाखिल किया गया है। अतः वादी की ओर से दाखिल उक्त प्रतिस्थापना आवेदन दिनांक 23.09.2022 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। वाद दिनांक............................को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

मुन्सिफ

सोनपुर सारण।